पंजीकृत

पत्र सं0-जन सूचना- श्री जे0पी0 सिंघला-नई दिल्ली/136/(2020-21)/ 743 / वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
(जनसूचना अनुभाग)
दिनांक :: लखनऊ :: 20 नवम्बर,2020

श्री जे0पी0 सिंघला,
पता- एम-5, अशोका सेन्टर, 4ई/ 15,
झण्डेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये अपने प्रार्थना पत्र दिनांक-05.11.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वांछित सूचना / अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

उक्त संदर्भ में वॉछित सूचना ज्वाइन्ट कमिश्नर (सचलदल) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-837 दिनांक 20.11.2020 द्वारा सूचना प्राप्त हुई है, जिसे मूलरुप में इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है। प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं पता निम्नवत है :-

पदनाम- एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) /अपीलीय अधिकारी,

पता- वाणिज्य कर, मुख्यालय, गोमती नगर, लखनऊ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

20.11.20
(सोनिका)
असिस्टेन्ट कमिश्नर (जनसूचना) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

पत्र संख्या- सचलदल / जनसूचना / 2020-21 / 837 / वाणिज्य कर

प्रेषक,

ज्वाइन्ट कमिश्नर (सचलदल) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

सेवा में,

ज्वाइन्ट कमिश्नर (जनसूचना) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

(सचलदल-अनुभाग) लखनऊ : : दिनांक : : 20 नवम्बर, 2020

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या- जनसूचना- श्री जे0पी0 सिंघला, नई दिल्ली / 136 / 2020-21 / 745 / वाणिज्य कर दिनांक 10-11-2020 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आवेदक श्री जे0पी0 सिंघला, पता- एम-5, अशोका सेन्टर, 4ई / 15, झण्डेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली -110055 के प्रार्थना पत्र दिनांक 05-11-2020 की छाया प्रति संलग्न करते हुए उनके द्वारा कतिपय सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना / प्रदत्त सूचना निम्नवत् है :-

क्रमांक	वांछित सूचना का विवरण	प्रदत्त सूचना
1-	In their vat regime in UP State there was a form TDF-1 & TDF-II(Behati). Transporter who is passing the UP State had to download TDF-I at entry in UP State and download TDF-II at Exit of UP State. Some time server not working or connectivity was not there the truck moves without downloading TDF-II after a waiting and no action was taken by the Taxation Dept.till more than 2 years.	उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम- 2008 की धारा-52 के अन्तर्गत प्रत्येक वाहन प्रभारी जिसके द्वारा प्रान्त बाहर से करयोग्य माल को प्रान्त बाहर परिवहन किया जाना है उसे उ0प्र0 से गुजरते समय विभागीय वेबसाइट से TDF-1 डाउन लोड करना तथा प्रान्त से निर्गमन करते समय TDF-2 अपलोड करना अनिवार्य है।
2-	In the above said subject what was the implication.	यदि ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रान्त बाहर जाने से पूर्व TDF-2 अपलोड नही किया जाता है तो वैट अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानों के अन्तर्गत कर निर्धारण तथा धारा 54 के अन्तर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाती है।
3-	Please also describe the time limit of action to be taken.	उपरोक्तानुसार के वादों में अर्थदण्ड तथा कर निर्धारण की कार्यवाही सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 3 वर्ष के अन्दर की जा सकती है।
4-	What is the time limit to issue notice against such offence.	ऐसे मामलों में वाद के कालबाधित होने से पूर्व कभी भी नोटिस जारी की जा सकती है।

उक्त सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्राप्ति पत्रांक 640
दिनांक 20-11-20
पदनाम श्री रामभूति

भवदीय
20-11-2020
(अशोक कुमार सिंह)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (सचलदल) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

ज्वा0कमि0/डिप्टी कमि0/असि0कमि0
(पी0आई0ओ0)